छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक 2012 के संबंध में जानकारी

खाद्य सुरक्षा कानून क्यों एवं कानून बनाने के राज्य सरकार के अधिकार

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक 2012 को प्रस्तुत करने का मूलभूत उद्धेश्य राशन की वर्तमान पात्रता को कानूनी हक प्रदान करना है ताकि हर गरीब और जरूरतमंद को भोजन का अधिकार प्राप्त हो सके।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार नागरिकों को पूर्ण मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार है । जीवन हेतु भोजन सबसे महत्वपूर्ण एवं मूलभूत आवश्यकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर में सुधार कर लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का दायित्व है । संविधान की राज्य सूची में कमांक 27 में उल्लेखित शक्तियां खाद्यान्न के समुचित वितरण का अधिकार राज्य सरकार को देती है ।

केन्द्र एवं राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून का कवरेज

केन्द्र सरकार द्वारा अपने खाद्य सुरक्षा कानून में ग्रामीण क्षेत्र की 75 प्रतिशत जनसंख्या और शहरी क्षेत्र की 50 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न देने का प्रावधान किया गया है । ग्रामीण क्षेत्र की 75 प्रतिशत जनसंख्या में से प्राथमिकता वाले परिवार के नाम से मात्र 46 प्रतिशत जनसंख्या को गरीब परिवार तथा शेष 29 प्रतिशत जनसंख्या को सामान्य या गरीबी रेखा के उपर का परिवार माना गया है । इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों की 50 प्रतिशत जनसंख्या में से मात्र 28 प्रतिशत जनसंख्या को

गरीब तथा शेष 22 प्रतिशत जनसंख्या को सामान्य या गरीबी रेखा के उपर का परिवार माना गया है ।

केन्द्र सरकार के इस कानून के लागू होने से छत्तीसगढ़ राज्य के मात्र 23 लाख 64 हजार परिवारों को बीपीएल परिवार माना जाएगा और केन्द्र सरकार मात्र इतने ही परिवारों के लिए रियायती दर पर अनाज देगी । यहां एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा बिना विचार किए पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के 46 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के 28 प्रतिशत परिवारों को गरीब मानकर कानून बनाया जा रहा है । जबकि तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में मात्र 13.1 प्रतिशत, जम्मू कश्मीर में 13.2 प्रतिशत, केरल में 19.7 प्रतिशत, गोवा, में 25 प्रतिशत, और पंजाब में मात्र 20.9 प्रतिशत परिवारों को बीपीएल माना गया है । केन्द्र सरकार का खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने से इन राज्यो के एपीएल परिवार भी बीपीएल राशन के पात्र हो जाएंगे जबकि छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्य में कई पात्र और जरूरतमंद परिवार रियायती दर की राशन सुविधा से वंचित हो जाएंगे । इस विसंगति को दूर करने के लिए भी छत्तीसगढ़ का पृथक खाद्य सुरक्षा कानून होना अति आवश्यक है ।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 34 लाख 70 हजार परिवारों में से 9 लाख अन्त्योदय परिवारों को 1 रूपए किलो की दर पर तथा शेष 25 लाख 70 हजार शेष गरीब परिवारों को 2 रूपए किलो की दर पर हर महीने 35 किलो अनाज मिल रहा है । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा कानून में 42 लाख गरीब परिवारों को रियायती दर पर अनाज दिया जाएगा । इसमें से 11 लाख अन्त्योदय परिवारों को 1 रूपए किलो

की दर पर और शेष 31 लाख परिवारों को 2 रूपए किलो की दर पर अनाज दिया जाएगा । इस प्रकार राज्य सरकार का कानून लागू होने पर प्रदेश के 56 लाख कुल परिवारों में से 42 लाख अर्थात 75 प्रतिशत जरूरतमंद परिवारों को रियायती दर पर अनाज मिलेगा जबकि केन्द्र सरकार के कानून में प्रदेश के मात्र 42 प्रतिशत गरीब परिवारों को रियायती दर पर अनाज दिए जाने का प्रावधान है ।

<u>खाद्यान्न पात्रता का आधार – व्यक्ति बनाम परिवार</u>

केन्द्र सरकार के कानून में प्रति परिवार के बजाए प्रतिव्यक्ति अनाज देने का प्रावधान किया गया है । इसके अनुसार प्राथमिकता वाले गरीब व्यक्ति को प्रतिमाह 7 किलो और सामान्य परिवार के व्यक्ति को प्रतिमाह 3 किलो अनाज देने का प्रावधान किया गया है । केन्द्र सरकार के इस प्रावधान के कारण 5 व्यक्तियों से छोटे परिवारों को 35 किलो से कम अनाज प्राप्त होगा जबकि सामान्य परिवार को अधिकतम 15 किलो प्रतिमाह अनाज मिलेगा । इससे छोटा परिवार रखने वाले अनावश्यक दंडित होगें तथा यह कानून देश की परिवार कल्याण नीति और जनसंख्या नीति के विरूद्ध होगा । इसके अलावा प्रति व्यक्ति खाद्यान्न पात्रता तय करने पर 6 माह की आयु के बच्चे और 25 साल के युवा को 7 किलो अनाज की पात्रता होगी जो कि तर्कसंगत नहीं है । परिवार के हर सदस्य को अपना राशन लेने के लिये राशन दुकान जाना पड़ेगा । इससे बेहतर है कि परिवार को इकाई मानते हुए राशन दिया जाये । राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा कानून में सभी 42 लाख गरीब परिवारों के लिए हर महीने 35 किलो अनाज का प्रावधान किया गया है । साथ ही 8

लाख सामान्य परिवार के लिए प्रतिमाह न्यूनतम 15 किलो खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है ।

केन्द्र सरकार द्वारा अपने कानून में गरीब परिवारों के लिये 3 रूपए किलो में चावल और 2 रूपए किलो में गेहूं दिये जाने का प्रावधान किया गया है । अति गरीब अन्त्योदय परिवारों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है । इस कानून के लागू होने से अन्त्योदय अन्न योजना समाप्त हो जायेगी । राज्य सरकार के कानून में 11 लाख अन्त्योदय अथवा विशेष कमजोर समूह के परिवारों के लिये 1 रूपए किलो की दर से हर महीने 35 किलो चावल का प्रावधान किया गया है। शेष गरीब परिवारों के लिये 2 रूपए किलो में हर महीने 35 किलो खाद्यान्न की व्यवस्था है ।

इसके अलावा राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा कानून में 42 लाख गरीब परिवारों को हर महीने 2 किलो निःशुल्क नमक, अनुसूचित क्षेत्रों में 5 रूपए किलो की दर पर 2 किलो चना और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 10 रूपए किलो की दर पर 2 किलो दाल देने की व्यवस्था की गई है । केन्द्र सरकार के कानून में खाद्यान्न के अलावा दाल अथवा नमक उपलबध कराने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

पात्रता वाले समूहों का निर्धारण

केन्द्र सरकार द्वारा अपने कानून में प्राथमिकता वाले अर्थात गरीब परिवारों के अंतर्गत किन्हे शामिल किया जाएगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है ।

जबकि हमारे कानून में अन्त्योदय परिवार, बीपीएल अथवा प्राथमिकता वाले परिवार, सामान्य परिवार एवं अपवर्जित परिवारों की स्पष्ट

श्रेणी का उल्लेख किया गया है ताकि सभी पात्र और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राज्य की समस्त विशेष पिछड़ी जनजातियां, ऐसे परिवार जिनके मुखिया विधवा या एकाकी महिला है अथवा निःशक्त हैं अथवा लाईलाज बीमारी से पीड़ित है अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं जिसे आजीविका और समाज से कोई सहायता प्राप्त नहीं है तथा ऐसे परिवार जिसके मुखिया विमुक्त बंधुवा मजदूर हैं उन्हें अन्त्योदय परिवारों के रूप में शामिल किया गया है ।

प्राथमिकता वाले बीपीएल परिवारों में 6 लाख भूमिहीन मजदूर परिवार, 30 लाख सीमांत एवं लघु कृषक परिवार, असंगठित क्षेत्र के 2 लाख श्रमिक परिवार, 4 लाख भवन निर्माण श्रमिक परिवार शामिल होंगे । इस प्रकार राज्य सरकार के कानून के प्रावधान के अनुसार 42 लाख गरीब परिवार और 8 लाख सामान्य परिवार अर्थात 50 लाख परिवार खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आ जाएंगे जिन्हें हर महीने निर्धारित पात्रतानुसार राशन सामग्री प्राप्त होगी । केवल आयकर दाता अथवा आर्थिक रूप से सशक्त 6 लाख परिवार इस कानून के अंतर्गत खाद्यान्न के लिए पात्र नहीं होंगे।

अन्य समूहों हेतु प्रावधान

प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे इसके लिए सभी निराश्रित, आवासहीन, प्रवासी, प्राकृतिक आपदा प्रभावित लोगों के लिए इस कानून में भोजन की व्यवस्था की गई है। महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण युक्त आहार का भी प्रावधान किया गया है। छात्रावास और

आश्रमों में रहने वाले छात्र–छात्राओं के लिए भी रियायती दर पर अनाज की व्यवस्था की गई है।

पात्रता की गारण्टी

राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत हितग्राहियों की निर्धारित खाद्यान्न की पात्रता छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत सेवा के रूप में शामिल होगी और राज्य सरकार द्वारा तय समयसीमा में हर हितग्राही को उसकी हकदारी का राशन प्राप्त होगा। राशन सामग्री की चोरी या दुरूपयोग की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए भी इस कानून में सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं ।

पारदर्शिता हेतु प्रावधान

राशन दुकानों के सभी हर महीने राशन सामग्री विक्रय संबंधी रिकार्ड सार्वजनिक किये जायेगें तथा इनके सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था भी जावेगी । इसके अलावा जिला, विकासखण्ड एवं दुकान स्तर पर निगरानी समितियों द्वारा भी दुकानो के कियाकलापों की नियमित निगरानी की जावेगी ।

राज्य सब्सिडी

राज्य के खाद्य सुरक्षा कानून के लागू होने से राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न वितरण के लिए 1 हजार 904 करोड़ रूपए की सब्सिडी, नमक के लिए 67 करोड़ रूपए की सब्सिडी, चना के लिए 208 करोड़ की सब्सिडी, दाल के लिए 132 करोड़ रूपए की सब्सिडी कुल 2311 करोड़ रूपए की प्रतिवर्ष सब्सिडी राशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जिसका अपना खाद्यान्न सुरक्षा कानून होगा और हितग्राही परिवार को भोजन का अधिकार एक कानूनी अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाएगा ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011 और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक 2012 के प्रावधान

क.	प्रावधान	छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा विधेयक 2012	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2011
1	**विस्तार (कवरेज)**		
	अन्त्योदय परिवार	11 लाख (20%)	0
	बीपीएल परिवार	31 लाख (55%)	23.64 लाख (42%)
	योग(प्राथमिकता परिवार)	42 लाख (75%)	23.64 लाख (42%)
	एपीएल परिवार	8 लाख (14%)	13.31 लाख (24%)
	कुल कवरेज	50 लाख परिवार (89%)	**36.95 लाख परिवार (66%)**
	अपवर्जित परिवार	6 लाख (11%)	19.27 लाख (34%)
2	**पात्रताएं एवं दर**		
	अन्त्योदय	35 किलो खाद्यान्न प्रतिकार्ड दर – 1 रूपए प्रतिकिलो	कोई प्रावधान नहीं
		नमक – 2 किलो निःशुल्क	कोई प्रावधान नहीं
		चना – अनुसूचित विकासखण्डों में प्रतिकार्ड 2 किलो दर – 5 रूपए प्रतिकिलो	कोई प्रावधान नहीं
		दाल – गैर अनुसूचित विकासखण्डों में प्रतिकार्ड 2 किलो दर – 10 रूपए प्रतिकिलो	कोई प्रावधान नहीं
	बीपीएल	35 किलो खाद्यान्न प्रतिकार्ड दर – 2 रूपए प्रतिकिलो नमक – 2 किलो निःशुल्क	7 किलो प्रति व्यक्ति दर-चावल 3 रूपए प्रतिकिलो गेहूं 2 रूपए प्रतिकिलो
		चना – अनुसूचित विकासखण्डों में प्रतिकार्ड 2 किलो दर – 5 रूपए प्रतिकिलो	कोई प्रावधान नहीं
		दाल – गैर अनु. विकासखण्डों में प्रतिकार्ड 2 किलो दर – 10 रूपए प्रतिकिलो	कोई प्रावधान नहीं
	एपीएल	15 किलो खाद्यान्न प्रतिकार्ड दर– चावल 9.50 रूपए प्रतिकिलो	3 किलो प्रति व्यक्ति दर– समर्थन मूल्य की आधी राशि से अधिक नहीं

3	**गैर पीडीएस पात्रताएं**		
क.	गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को पोषाहार सहायता	प्रावधान है	प्रावधान है
ख.	6 माह से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी के जरिए पोषाहार सहायता	प्रावधान है	प्रावधान है
ग.	गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ	प्रावधान है	प्रावधान है
घ.	6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को मध्यान्ह भोजन	प्रावधान है	प्रावधान है
ड.	छात्रावास/आश्रम के छात्रों को रियायती दरों पर खाद्यान्न	प्रावधान है	प्रावधान नहीं है
च	निराश्रित व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन	प्रावधान है	प्रावधान है
छ	आवासहीन व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन	प्रावधान है	प्रावधान है
ज.	प्रवासी परिवारों को वर्तमान निवास में पात्रता प्राप्ति की सुविधा	प्रावधान है	प्रावधान है
झ.	आपात या आपदा प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन	प्रावधान है	प्रावधान है
	भूख की दशा में तत्काल राहत की सुविधा	प्रावधान है	प्रावधान है
ट	दाल भात केन्द्रों	प्रावधान है	प्रावधान है

	की सुविधा		
4	**खाद्य सुरक्षा कानून क्यों ?**	यह कानून राशन की वर्तमान पात्रता को कानूनी हक प्रदान करता है । भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार नागरिकों को पूर्ण मानवीय गरिमा के साथ जीवन का अधिकार है । जीवन हेतु भोजन मूलभूत आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवर स्तर में सुधार कर लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का दायित्व है । संविधान की राज्य सूची में कमांक 27 में उल्लेखित शक्तियां खाद्यान्न के समुचित वितरण का अधिकार राज्य सरकार को देती हैं ।	
5	**बीपीएल में शामिल परिवार**	भूमिहीन मजदूर परिवार – 6 लाख सीमांत एवं लघु कृषक परिवार – 30 लाख असंगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवार – 2 लाख निर्माण श्रमिक परिवार – 4 लाख कुल – 42 लाख	वर्गीकरण का उल्लेख नहीं ।
6	**विशेष कमजोर सामाजिक समूह के परिवार/अन्त्योदय परिवार**	विशेष पिछड़ी जनजातियां, ऐसे परिवार जिनके मुखिया विधवा या एकाकी महिला है अथवा निःशक्त हैं अथवा लाईलाज बीमारी से पीड़ित है अथवा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं जिसे आजीविका और समाज से कोई सहायता प्राप्त नहीं है । ऐसे परिवार जिसके मुखिया विमुक्त बंधुवा मजदूर हैं ।	कोई प्रावधान नहीं है ।
7	**अपवर्जित परिवार**	ऐसे परिवार जिनके मुखिया या परिवार का कोई अन्य सदस्य आयकरदाता है । गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि या 8 हेक्टेयर से अधिक असिंचित	कोई प्रावधान नहीं है ।

		भूमिधारक समस्त परिवार । नगरीय क्षेत्रों में 1 हजार वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल के मकान मालिक या स्थानीय निकाय को संपत्तिकरदाता । ऐसे सभी परिवार राशनकार्ड हेतु पात्र नहीं होंगे ।	
8	पात्रताओं की तर्कसंगतता	अधिक निर्धनता वाले अनुसूचित /जनजातीय क्षेत्रों में अपवर्जित परिवार कम से कम हो, ऐसे प्रावधान किए गए हैं ।	तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 13.1 प्रतिशत तथा पंजाब में 20.9 प्रतिशत बीपीएल परिवार हैं, तथा छत्तीसगढ़ में 49.4 प्रतिशत बीपीएल परिवार हैं। प्रस्तावित कानून से दिल्ली और पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के 46 प्रतिशत परिवार रियायती अनाज हेतु पात्र हो जाएंगे, जिसमें कई परिवार वर्तमान में एपीएल हैं ।
9	पात्रता की गारंटी	हितग्राहियों की पात्रता छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत सेवा के रूप में शामिल होगी। साथ ही जवाबदेही और जिम्मेदारी का प्रावधान एवं आंतरिक निगरानी की व्यवस्था	केवल शिकायत निवारण प्रणाली का उल्लेख है । पात्रताओं के निश्चित समय में प्रदाय हेतु कोई प्रावधान नहीं उल्लेखित है ।
10	पारदर्शिता	पीडीएस के अभिलेखों का प्रदर्शन, सामाजिक अंकेक्षण और निगरानी समितियों की व्यवस्था	पीडीएस के अभिलेखों का प्रदर्शन, सामाजिक अंकेक्षण और निगरानी समितियों की व्यवस्था
11	स्थानीय निकायों की सहभागिता	अध्याय 9 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है	स्पष्ट प्रावधान नहीं
12	अपराध और शास्ति	अध्याय 13 के खण्ड 26 में विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है ।	कोई प्रावधान नहीं
13	संसद में विचाराधीन विधेयक के बावजूद यह कानून क्यों ?	1. वर्तमान में राज्य में 34.70 लाख गरीब परिवारों को रियायती दर पर अनाज दिया जा रहा है । केन्द्रीय कानून लागू होने से राज्य के मात्र 23.64 लाख परिवारों को बीपीएल मानकर रियायती अनाज मिलेगा। इससे राज्य के वर्तमान लगभग 9 लाख गरीब परिवार 2 रूपए किलो के खाद्यान्न से वंचित होने का खतरा पैदा हो जाएगा । 2. प्रतिव्यक्ति अनाज की पात्रता तय होने से 35 किलो के स्थान पर परिवार में सदस्यों की संख्या के अनुसार हर महीने 7 अथवा 14	

		अथवा 21 अथवा 28 किलो अनाज मिलेगा । इससे वर्तमान कार्डधारी की खाद्यान्न पात्रता कम हो जाएगी । 3. छोटा परिवार रखने वाले लोग दण्डित होंगे और यह नीति परिवार नियोजन और जनसंख्या नीति के प्रतिकूल है । 4. 6 माह के बच्चे और 25 साल के युवा दोनों हर महीने 7 किलो अनाज के लिए कैसे पात्र हो सकते हैं । यह कैसे सुनिश्चित होगा कि हर सदस्य को हर महीने 7 किलो अनाज मिला है । साथ ही परिवार के हर सदस्य को 7 किलो अनाज लेने के लिए हर महीने राशन दुकान आना पड़ेगा ।